संख्या-165/2015/2151/71-1-2015-जी-200/2013

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 29 अक्टूबर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु अनुदान संख्या-31 में उपकरण मद में स्वीकृत धनराशियों की उपयोगिता अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2015/1958, दिनॉक 22-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय संस्थानों (हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर) हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपकरणों हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 1,41,29,90,000/- की धनराशि को आहरित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में रखने की अनुमति शासनादेश संख्या-1179/71-1-2014-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसकी उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-87/2015/674/71-1-2015-जी-200/2013, दिनॉक 31-03-2015 द्वारा 06 माह (दिनॉक 30-09-2015) तक विस्तारित की गयी थी, जो दिनॉक 30-09-2015 को पूर्ण हो रही है।

3- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0 78,77,53,282;00 में से संलग्न तालिका में वर्णित विवरण के अनुसार रू0 18,77,23,876.51 का आहरण कर लिया गया है एवं उक्त आहरण के उपरान्त रू0 60,00,29,405.49 की धनराशि अवशेष है।

4- आपके उक्त पत्र दिनॉक 22-09-2015 में वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत श्री राज्यपाल शासनादेश दिनॉक 31-03-2014 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या-8448047 में अवशेष धनराशि रू0 60,00,29,405.49 की उपयोगिता अवधि 03 माह (दिनॉक 31-12-2015 तक) विस्तारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। शासनादेश दिनॉक 31-03-2014 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1392/दस-2015, दिनॉक 28 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत् किए जा रहे है।

संलग्नक--यथोक्त।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 165/2015/2151(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
4- प्रोफेसर-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, झाँसी, मेरठ, सहारनपुर, आजमगढ़, उरई जालौन, कन्नौज, आगरा, सहारनपुर।
9- नियोजन अनुभाग-4
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।